न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी–नथमल डिडेल आई.ए.एस.

अपील संख्याः–01/2022 अपील (रसद)

काशीराम पुत्र श्री पन्नाराम राम जाति शर्मा निवासी खोडां तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976

उपस्थितः–

1. श्री रामकुमार विश्नोई एडवोकेट–अपीलाण्ट।
2. श्री शिवराज सिंह बराड़, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट।

निर्णय **दिनांकः–12.05.2022**

अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलाण्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा बअनवानी प्रकरण स्टेट बनाम काशीराम में पारित आदेश दिनांक 18.03.2020 को अपास्त कर अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को बहाल किये जाने बाबत पेश हुई।

मुताबिक अपील अपीलाण्ट प्रवर्तन अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा अपीलांट की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया गया तथा जांच रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्रस्तुत की। तदोपरांत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलांट को नोटिस प्रस्तुत किये गये जिनका मुझ अपीलांट ने समय रहते जवाब प्रस्तुत कर स्पष्टीकरण दिया गया परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने राजनैतिक दबाव के चलते अपने आदेश क्रमांक 137 दिनांक 13.01.2016 से अपीलांट की दुकान का अनुज्ञा पत्र आगामी आदेश तक निलम्बित कर दिया गया तथा पत्रावली सुनवाई में चलती रही जिसमें अपीलांट ने प्रस्तुत होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।

रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 18.03.2020 को बिना सुनवाई का मौका दिये फर्द अहकाम पर यह तथ्य अंकित करते हुए अपीलांट की दुकान का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया गया कि अपीलांट ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया जबकि अपीलांट द्वारा समय समय पर प्राप्त नोटिसों का जवाब रेस्पोडेन्ट के यहां प्रस्तुत किया गया है। आदेश दिनांक 18.03.2020 विधि विरूद्ध व बिना सुनवाई का मौका दिये पारित किया गया है जो निम्न आधारों पर काबिल खारिजी है।

Web Copy - Not Official

अपीलांट ने माह नवम्बर 2015 से उचित मूल्य दुकान खोडां का कार्य शुरू किया था इससे पूर्व अपीलांट घरेलु कारणों से अवकाश पर था। अपीलांट ने दो माह नवम्बर 2015 व दिसम्बर 2015 में राशन वितरण का कार्य किया है। मेरे द्वारा राशन वितरण नियमानुसार किया गया है। दिनांक 12.01.2016 को दौराने जांच मेरी दुकान पर कोई अनियमितता नहीं पाई गई। मात्र कुछ उपभोक्ताओं ने राजनैतिक द्वैषता के कारण शिकायत की। परन्तु उनके द्वारा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलांट का अनुज्ञा पत्र विधि विरूद्ध निलम्बित कर राजनैतिक दबाव में आकर बिना पूर्व सूचना दिये अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया गया। अतः अपीलाधीन आदेश 18.03.2020 निरस्त योग्य है।

उचित मूल्य दुकान खोडां में दर्ज भिन्न स्थान पर 175.50 क्विंटल गेहूं भण्डारित होना पाया इस सम्बन्ध में निवेदन है कि 175.50 क्वि. गेहूं पूर्व में कार्यरत अस्थाई उचित मूल्य दुकानदार भगवानराम पूरबसर से श्रीमान प्रवर्तन अधिकारी के आदेशों से ही उक्त स्टॉक प्राप्त किया था। उक्त स्टॉक को प्रार्थी की दुकान पर लाने हेतु संसाधन उपलब्ध नहीं होने पर अपनी चिन्हित दुकान पर नहीं ला सका। उक्त स्टॉक तो प्रार्थी को चार्ज में मिला है और उक्त स्थान से ही अस्थाई डीलर से प्राप्त किया है जितना स्टॉक प्रार्थी के पास दस्तावेजों में था उतना ही स्टॉक जांच में प्राप्त हुआ है। प्रार्थी ने कोई कालाबाजारी नहीं की है और ना ही कोई अनैतिक कार्य किया है। उक्त दुकानों पर गेहूं भण्डारित रहा जो कालाबाजारी के उदेश्य से भण्डारित नहीं था और न ही जांच में कालाबाजारी होना पाया गया। अपीलांट के द्वारा माह जनवरी 2016 में प्राधिकार पत्र निलम्बित होते ही आपके आदेश कार्यालय समस्त गेहूं अस्थाई उचित मूल्य दुकानदार रामरतन भाखरावाला को सुपुर्द कर दिया गया था। अपीलांट ने कोई कालाबाजारी व कोई अनियमितता नहीं की है। परन्तु इन तथ्यों की ओर रेस्पोडेन्ट ने कोई ध्यान नहीं दिया महज राजनैतिक दबाव के चलते अपीलांट को सुनवाई का मौका दिये बिना अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया। अतः अपीलाधीन आदेश खारिज होने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश 18.03.2020 को निरस्त किया जावे एवं अनुज्ञा पत्र बहाल फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलाण्ट के अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 18.03.2020 को बिना सुनवाई का मौका दिये फर्द अहकाम पर यह तथ्य अंकित करते हुए अपीलांट की दुकान का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया गया कि अपीलांट ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया जबकि अपीलांट द्वारा समय–समय पर प्राप्त नोटिसों का जवाब रेस्पोडेन्ट के यहां प्रस्तुत किया गया है। उचित मूल्य दुकान खोडां में दर्ज भिन्न स्थान पर 175.50 क्विंटल गेहूं भण्डारित होना के सम्बन्ध में निवेदन है कि 175.50 क्वि. गेहूं पूर्व में कार्यरत अस्थाई उचित मूल्य दुकानदार भगवानराम पूरबसर से श्रीमान प्रवर्तन अधिकारी के आदेशों से ही उक्त स्टॉक प्राप्त किया था। उक्त स्टॉक को प्रार्थी की दुकान पर लाने हेतु संसाधन उपलब्ध नहीं होने पर अपनी चिन्हित दुकान पर नहीं ला सका। अपीलांट का अनुज्ञा पत्र विधि विरूद्ध निलम्बित कर राजनैतिक दबाव में आकर बिना पूर्व सूचना दिये अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया गया। इसलिए जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ का आदेश दिनांक 18.03.2020 को निरस्त फरमाया जावे व अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र बहाल किया जावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि मुताबिक जांच रिपोर्ट काशीराम शर्मा उचित मूल्य दुकानदार खोडां द्वारा माह नवम्बर, दिसम्बर 2015 में उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण सही ढंग से नहीं किया गया। मौके पर कई उपभोक्ताओं ने राशनकार्ड प्रस्तुत कर बताया कि वे गेहूं लेने उचित मूल्य दुकान पर गये थे लेकिन राशन डीलर ने गेहूं नहीं दिया। इसके अलावा जिला रसद कार्यालय द्वारा जारी

प्राधिकार पत्र में दर्ज व्यापार स्थल पर दुकान का संचालन नहीं किया जाकर श्री रामकुमार बिस्सु तथा रामेश्वर महला की दुकान में सरकारी गेहूं बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के रखा गया जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण विनियमन) आदेश 1976 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र बहाल नहीं किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अध्ययन किया गया। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पूर्ण सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण सही ढंग से नहीं किया गया। इसके अलावा जिला रसद कार्यालय द्वारा जारी प्राधिकार पत्र में दर्ज व्यापार स्थल पर दुकान का संचालन नहीं किया जाकर अन्यत्र दुकान में सरकारी गेहूं बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के रखा गया। अपीलार्थी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रकरण की पूर्ण नियमानुसार जांच की जाकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.03.2020 यथावत रखा जाता है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
हनुमानगढ़